

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष 2011-निर्णय

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम दिनेश कुमार बागरी 2. वर्तमान धारित पद कनिष्ठ अभियंता 3. कार्यालय का नाम हरण्य अभि. भा. प्रे. के.  
 म.प्र. पाट. शो. क. लि. जबलपुर 4. वर्तमान वेतन 11630 + 4100 + 812 5. मध्यम निधि क्रमांक 1100333852306 कर्मचारी संख्या 174444074  
 (NPS-PAN)

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि सत्य के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला-जबलपुर तहसील-सिशोरा ग्राम-धामधा फ. क्र. - 80/22	गुरदास	50x50 = 2500 sq वर्गफुट	3,00,000/-	स्वयं	स्वयं की बचत एवं पिता/भा. से लिया	निर्णय	निर्णय

हस्ताक्षर [Signature]  
 नाम दिनेश कुमार बागरी  
 पद कनिष्ठ अभियंता

- \* जहां लागू न हो काट दीजिए
- \*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए
- \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी-मंडल द्वारा ग्राह्य स.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण दें।

इस कार्यालय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।  
 संलग्न - उपरोक्तानुसार